

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवशी नगर,
पटना-800023 ।

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रमेश कुमार पिता— धर्मनाथ सिंह ग्राम— मिरचा पो०+थाना— गरखा जिला— सारण	Knee Disarticulation Surgery	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,00,000/- (एक लाख) मात्र का क्रास चेक सं०. 196975...
मूल रूप में सलग्न ।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आर्डी०, बेसी रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2428(14)

पटना, दिनांक

27/8/2025

प्रतिलिपि— तेरवाणाल, स्वास्थ्य विभाग, विहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीज के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,

महावीर कैसर संस्थान,

फूलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय-“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	पप्पु कुमार पिता-राजेश्वर साह ग्राम-पहलेजा शाहपुर दियारा पो०-सोनपुर थाना-सोनपुर जिला-सारण एम०सी०एस-एफ 97379	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	शकील बानो पति-मो० मकुज्जफर ग्राम-रोड न०-2 नई करीमगंज पो०-करीमगंज थाना-सिविल लाईन जिला-भोजपुर एम०सी०एस-एफ 99007	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	शिवन यादव पिता-धकुली यादव ग्राम-चैती वार्ड 2 पो०-रांगा थाना बेलहर जिला बांका एम०सी०एस-एफ 97345	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

4	मनु लाल साह पिता-रामनाथ साह ग्राम-कैतुका विक्रम पो0-कैतुका नंदन थाना-मकेर जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 501	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	निर्मला कुमार राय पिता-धेनुक राय ग्राम-बसरा पो0-बागर थाना-सिकरहट्टा जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 410	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	शभु सिंह पिता-नमूना सिंह ग्राम-किउल पो0-गढहारा थाना-गढहारा ओ0पी0 जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 98632	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	कृष्णकांत झा पिता-स्व0 सुरेश्वर झा ग्राम-पो0-बसौना थाना-बनगांव जिला-सहरसा एम0सी0एस-जी0 63	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	मनोज प्रसाद पिता-बिरेन्द्र सिंह ग्राम-आठपा पो0-कोलोडिहरि थाना-चौरी जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 92587	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	सोनी देवी पति-नन्दु राम ग्राम-कदई पो0-कुदरा थाना-कुदरा जिला-कैमुर भभुआ एम0सी0एस-एफ 99413	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	नसीमा खातुन पति-मो0 समी आलम ग्राम-दुहबी बाजार वार्ड 11 पो0-महिनाथपुर थाना-बासोपट्टी जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 98228	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

11	कृष्ण देव पासवान पिता-राधो पासवान ग्राम-राम नगर पो0-सूर्यगढा थाना-सूर्यगढा जिला-लखीसराय एम0सी0एस-एफ 97928	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	सहुनाज बेगम पति-इस्माईल ग्राम-सिधिया ठाटोल पो0-कन्हरिया थाना डगरूआ जिला पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 97700	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	लाल बाबु शर्मा पिता-गोवर्धन शर्मा ग्राम+पो0-भदसेरा थाना-तरारी जिला-भोजपुर. एम0सी0एस-एफ 99082	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	कालेश्वर मंडल पिता-स्व0 बैजु मंडल ग्राम-ठाकुरबारी नया टोला पो0-गुरुबाजार थाना-बरारी जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 96774	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	सीता देवी पति-महेन्द्र यादव ग्राम-रेगनिया पो0-झरी थाना-आमस जिला-गया एम0सी0एस-एफ 99219	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	अंशुर्फी देवी पति-जोगिद पासवान ग्राम-तेलकप पो0-अमझोर थाना+जिला रोहतास एम0सी0एस-एफ 97632	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	कमरु बेगम पति-जाकिर हुसैन ग्राम-हसनपुर पो0+थाना मढौरा जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 998	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

18	छपिया देवी पति-विसन चौधरी ग्राम-बेलगच्छी पो0-धर्मगंज थाना-पलासी जिला-अररिया एम0सी0एस-एफ 98585	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	पप्पु कुमार राय पिता-शिव दयाल राय ग्राम-बलोखरा पो0-इनायतपुर थाना दाउदपुर जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 99115	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	साजन देवी पति-लाल बाबु चौधरी ग्राम-विशनपुर पोस्ट-बसहा मिर्जापुर थाना अशोक पेपर मिल जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 94407	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	कविता देवी पति-राकेश सिंह ग्राम-सोनौली पो0-सोनौली थाना-मशरक जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 572	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	मनीषा देवी पति-शकर राय ग्राम-महादेव मठ पो0-उजुआ थाना-कै0 अस्थान जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 93458	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	राम सोगारथ राम पिता-कोदई राम ग्राम+पो0-साईन थाना-बेलसर ओ0पी0 जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 120	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	राम नन्दन सिंह पिता-स्व0 देवधारी सिंह ग्राम-शिव नगर पो0-गोनावॉ थाना-नवादा जिला नवादा एम0सी0एस-जी0 1015	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

25	फजल हुसैनैन पिता-मो० कमरुल होदा ग्राम-मोहल्ला किला पो०-बेतिया थाना-नगर जिला-प० चम्पारण एम०सी०एस-एफ 99677	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	हेमलता देवी पति-नरेश कुमार झा ग्राम-रहटमीना पो०-हलधारा हाट थाना-कुर्साकाटा जिला-अररिया एम०सी०एस-एफ 99302	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	कमल देवी पति-सत्यदेव सिंह ग्राम-बाजितपुर पो०-गोपालपुर थाना-नयगांव जिला-सारण एम०सी०एस-एफ 98515	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	मोहम्मद मइउद्दीन पिता-मोहम्मद गुजन ग्राम-टेकटी पो०-भान थाना-जिला मधेपुरा एम०सी०एस-एफ 47945	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	अवधेश सिंह पिता-राजा राम सिंह ग्राम-रामगढ पो०-चैनपुर थाना सिसवन जिला-सीवान एम०सी०एस-एफ 99771	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	उमा शकर राम पिता-किरोधर राम ग्राम+पो०-चिलहरी थाना-डुमराव जिला-बक्सर एम०सी०एस-एफ 98103	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	जुलुम भगत पिता-स्व० रामदेव भगत ग्राम-छोटी युसुफपुर पो०-हाजीपुर थाना औद्योगिक क्षेत्र जिला-वैशाली एम०सी०एस-एफ 98185	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

32	सादीया प्रवीण पिता-मोहम्मद रियाजुद्दीन अहमद ग्राम+पो0-दाउदपुर थाना-शाहपुर जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 92324	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
33	सजय शर्मा पिता-अयोध्या शर्मा ग्राम-पाली पोस्ट-उतरेन थाना-कोच जिला-गया एम0सी0एस-एफ 99525	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
34	बिड्डु कुमार पिता-लाल बहादुर हलवाई ग्राम+पो0-ओबरा थाना ओबरा जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-जी0 754	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
35	दीपक कुमार दास पिता-सिद्धेश्वर दास ग्राम-भोकिलापुर वार्ड 13 पो0-भोकिलापुर थाना-हिलसा जिला नालदा एम0सी0एस-जी0 897	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
36	विनय कुमार पिता-अम्बिका मंडल ग्राम-जोरावरडीह पो0-कौवाकोल थाना-कौवाकोल जिला नवादा एम0सी0एस-जी0 372	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
37	लता देवी पति-स्व0 मदन प्रसाद ग्राम-कच्ची दरगाह वार्ड 03 पो0-कच्ची दरगाह थाना-नदी जिला-पटना एम0सी0एस-ई0 92627	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
38	खगेन्द्र पोद्दार पिता-स्व0 सदानंद पोद्दार ग्राम-बुट्टुचक 12 पो0-मोहनपुर गौघता थाना-बुट्टुचक जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 99503	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

39	कल्याणी देवी पति-बिपीन सिंह ग्राम+पो0-नगरपारा थाना-भवानीपुर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 211	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
40	कामिल पिता-अकबर हुसैन ग्राम-शाहजगी वार्ड 09 पो0-हबीबपुर थाना-हबीबपुर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 1175	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	सुरेखा कुमारी पति-कमलेन्द्र कुमार ग्राम-सुंदरपुर खरौना पो-महुअरिया थाना+जिला- शिवहर एम0सी0एस-एफ 99787	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	उर्मिला कुंवर पति-जोध्या चौहान ग्राम-लकरी पोस्ट+थाना-कोचस जिला-रोहतास एम0सी0एस-एफ 98892	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	शमशाद आलम पिता-सराफुल हाडा ग्राम-ताजखड पोस्ट-जलकी थाना-आजम नगर जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 97927	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	अनीता देवी पति-सुरेश साव ग्राम-चंडीपुर सौर पो0-राजापुर थाना-वारसलीगंज जिला नवादा एमसीएस नं0-जी0 671	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	भगवानिया देवी पति-राम दहिन यादव ग्राम-महमदपुर पोस्ट-साहोपुर थाना-गुरुआ जिला-गया एमसीएस नं0-एफ 88355	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

46	समतोला देवी पति-लड्डु साह ग्राम-तेताराबाद चंदपुरा पो0-तेताराबाद थाना-गगौर जिला-खगडिया एमसीएस न0-एफ 99819	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
47	गुजा देवी पति-उत्तम प्रसाद गणेश ग्राम-दोगिरजा वार्ड 12 पो0+थाना-दीघल बैक जिला-किशनगज एमसीएस नं0-जी0 267	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	लक्ष्मी देवी पति-प्रकाश प्रसाद देव ग्राम-भत्ता बरी पोस्ट-मटियारी थाना-फारबीसगंज जिला अररिया एमसीएस न0 99616	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	छागो यादव पिता-स्व0 गुमानी यादव ग्राम-मिर्ची तालाब लाल दरवाजा 03 पोस्ट-लाल दरवाजा थाना-कोतवाली जिला-मुगेर एमसीएस नं0-एफ 88000	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
50	चम्पा देवी पति-स्व0 कामता सिंह ग्राम-मखदुमपुर पो0-छबीलापुर थाना-मानपुर जिला-नालदा एमसीएस नं0-जी0 486	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	दिलखुश कुमार पिता-स्व0 विरेन्द्र झा ग्राम+पो0 काबेला थाना-परबता जिला खगडिया एमसीएस नं0-एफ 75341	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	सजीदा खातुन पति-मो0 मोतीबुल ग्राम-गिदरगज पो0-मदना थाना-अधराठाढी जिला-मधुबनी एमसीएस नं0-जी0 782	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

53	शुकदेव प्रसाद मडल पिता-स्व० चौधरी मडल ग्राम-आश्रम टोला कदवा पोस्ट-खैरपुर कदवा थाना कदवा जिला-भागलपुर एमसीएसन०-एफ 99690	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
54	पुजा रंजन पिता-राजीव रजन ग्राम-बुढनीचक पोस्ट+थाना-बाढ जिला-पटना एमसीएसन०-एफ 76016	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	मो० सेराजुल हक पिता-गेयासुद्दीन ग्राम-मोहम्मदपुर पोस्ट-सिसवनीया थाना-बंजरिया जिला-पूर्वी चम्पारण एमसीएसन०-ई० 9908	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
56	महेन्द्र चौधरी पिता-जग नारायण चौधरी ग्राम-पांचु बिगहा पोस्ट-रामपुर चाय थाना-शहर तेलपा ओ०पी० जिला-अरवल एम०सी०एस-जी० 568	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	कमलेश्वरी यादव पिता स्व० महंथी यादव ग्राम-चौगरहा पो०-हरदी थाना+जिला-सुपौल एम०सी०एस-एफ 98887	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	पुनम देवी पति-बाल्मीकी राय ग्राम-बादे सैदपुर पो०-सिंहनान थाना-जगदीशपुर जिला-भागलपुर एमसीएस न० एफ 98046	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	मैरूल नेसा पति-अब्दुल कलाम ग्राम-दिघवा टोले खजुहट्टी पो०-खजुहट्टी थाना-बैकुंठपुर जिला-गोपालगंज एमसीएस न० एफ 98428	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

60	कुष्ण कुमार पिता-भावेश यादव ग्राम-हीराटोल पोस्ट-रहिमपुर थाना-साहेबपुर कमाल जिला-बेगुसराय एमसीएस नं० ई० 95937	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
61	कालिन्दी देवी पति-राजदेव सिंह ग्राम-बभनडीह वार्ड 03 पो०-वजीरगंज थाना-वजीरगंज जिला-गया एमसीएस न०-एफ 99080	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	कल्पना देवी पति-श्याम झा ग्राम+पो०-लहटा थाना-मनीगाछी जिला दरभंगा एमसीएस न० एफ 98465	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	संजु देवी पति-राजेन्द्र पासवान ग्राम-गोबरगढ पो०-नन्दलाली थाना+जिला सहरसा एमसीएस न० एफ 33457	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	शारदा देवी पति-जितेन्द्र प्रसाद केसरी ग्राम-प्रसाद बीघा पो०+थाना-नवादा जिला-नवादा एमसीएस न०-जी० 208	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	जगिया देवी पति-लड्डु सिंह ग्राम-परैल कपसीया टोला पोस्ट-बरगांव थाना-रतवारा जिला-मधेपुरा एमसीएस न० एफ 99861	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	अरविन्द कुमार मडल पिता-रामदेव मडल ग्राम-चौरी टोला वार्ड 11 पो०-गढबनैली थाना+जिला-अररिया एमसीएस न० एफ 98027	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

67	अजीमा खातुन पति—मुस्ताक आलम ग्राम—बगरा पोस्ट—मझुवा कला थाना—अमौर जिला पूर्णिया एमसीएस न० एफ 97792	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
68	लक्ष्मण साह पिता—गगदेव साह ग्राम—कारण कुदरिया पो०—डुमरसन बंगरा थाना—मशरक जिला—सारण एमसीएसन०—एफ 87536	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
69	सविता देवी पति—अर्जुन साह ग्राम—दिलावरपुर वांडा कृष्णापुरी पो०—मुंगेर थाना—कोतवाली जिला—मुंगेर एम०सी०एस० न०—जी० 242	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
70	मानती देवी पति—हरेन्द्र राय ग्राम—मीनापुर पोस्ट+थाना—हाजीपुर जिला—वैशाली एमसीएसन०—एफ 99959	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
71	नुजहत खातुन पति—अनवर खान ग्राम+पो०—नहौना थाना—सासाराम मु० जिला—रोहतास एम०सी०एस० न०—जी० 951	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
72	शोभा सिंह पति—पिंटु कुमार ग्राम—रामपुर पो०—मंझगांय थाना—संग्रामपुर जिला—मुंगेर एम०सी०एस० न०—एफ 92223	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
73	सोनिया देवी पति—दीप नारायण पासवान ग्राम—तीलकपुर पोस्ट—सिलहन थाना—सनोखर जिला—भागलपुर एम०सी०एस० न०—जी० 850	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

74	बबीता देवी पति प्रदीप साव ग्राम-मधेपुर पो0+थाना-काशीचक जिला नवादा एम0सी0एस-एफ 43366	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
75	रेखा देवी पति-कमल किशोर विश्वास ग्राम-पचैली पो0-चौकता थाना-महलगाव जिला-अररिया एम0सी0एस0 नं0-जी0 683	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
76	रविन्द्र यादव पिता-स्व0 सगुणी यादव ग्राम-ताडर पो0-ताडर थाना-सन्हौला जिला-भागलपुर एम0सी0एस0 नं0-एफ 89683	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
77	जफीर आलम पिता-अब्दुल सलाम ग्राम-काकरघट्टी पो0-मुस्कौल थाना-सदर जिला-दरभंगा एम0सी0एस0 नं0-जी0 856	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
78	रेणु देवी पति-राम विलास यादव ग्राम-बग्घी बरैना पो0-मोगलिया पुरन्दाहा थाना-सरसी जिला-पूर्णिया एम0सी0एस0 नं0-जी0 1167	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
79	सोना कुँवर पति-स्व0 नागेश्वर यादव ग्राम-नवादा टोला पो0-रुकुन्दीपुर थाना-दरौदा जिला-सीवान एम0सी0एस0न0-एफ 92746	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
80	बिमला देवी पति-सिद्धनाथ सिंह ग्राम-मथुरापुर पो0+थाना-डालमिया नगर जिला-रोहतास एमसीएसनं0-जी0 355	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

81	पिंकी देवी पति-सजय साह ग्राम-बिशनपुर पो0-खडगपुर थाना-सोनवर्षा कचहरी जिला-सहरसा एमसीएसन0-एफ 99469	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
82	उर्मिला देवी पति-प्रदीप ठाकुर ग्राम-ढोल टोला कसिबिघा पो0-अरथुआ थाना-कासमा जिला-औरंगाबाद एमसीएसन0-जी0 1062	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	महेश्वरी मेहता पिता-शिव नारायण मेहता ग्राम-राम नगर पो0-चोपडा रामनगर थाना-जानकी नगर जिला-पूर्णिया एमसीएसन0-जी0 977	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	देवन्ती देवी पति-ब्रजेश लाल ग्राम-पहरपुर पो0-पहरपुर थाना-अगियांव जिला-भोजपुर एमसीएसन0-ई0 32483	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	पवन कुमार यादव पिता-बलदेव यादव ग्राम-पो0-उसराही थाना देवधा जिला-मधुबनी एमसीएसन0-जी0 862	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	सुलोचना देवी पति-स्व0 सुरज प्रसाद ग्राम-नियर गंगा सिंह कालेज हेमचन्द्र मित्र रोड सलेमपुर पो0-साहेबगज थाना-नगर जिला-सारण एमसीएसन0-जी0 49	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	दीपक कुमार मिश्रा पिता-उदय नारायण मिश्रा ग्राम-सिसवर पो0-सिसवर थाना-फुलपरास जिला मधुबनी एमसीएसन0-जी0 15	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

88	रानी कुमारी पिता-धनजय प्रसाद ग्राम-भट बिगहा पो0-जूनियार थाना हिलसा जिला नालदा एमसीएसन0-जी0 214	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
89	मेहरून निशा पति-ओबैदुल्ला असारी ग्राम-गरार 05 पो0-हुसैनगज थाना-आन्दर जिला-सीवान एमसीएसन0-डी0 36166	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
90	शांति देवी पति-रामानंद सिंह ग्राम-रहुआ पो0-साहेबपुर थाना साहेबपुर कमाल जिला-बेगुसराय एमसीएसन0-जी0 699	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
91	सुरज साव पिता-विशुन साव ग्राम+पो0-पुना कला थाना-परैया जिला-गया एमसीएसन0-एफ 68822	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत ।
92	रविन्द्र कुमार पिता- राम सेवक सिंह ग्राम-भदौरा पो0-भदौरा थाना-मसौढी जिला-पटना एमसीएसन0-एफ 99681	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
93	नुरजहाँ खातुन पति-मो0 साबीर ग्राम-ठेंगपुर पो0-बहदीनपुर थाना-पारु जिला-मुजफ्फरपुर एमसीएसन0-एफ 99874	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
94	अशोक प्रसाद पिता-रामेश्वर महतो ग्राम-जमुनापुर पो0-कैरी मेयार थाना-नुरसराय जिला-नालंदा एमसीएसन0-जी0 960	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

95	सिसम कुमारी पति अखिलेश यादव ग्राम-मुरली पो0-मोतीपुर थाना-रोसडा जिला समस्तीपुर एमसीएसन0-एफ 94421	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
96	उर्मिला देवी पति बालेश्वर मंहतो ग्राम-लाखो निपानिया टोला वार्ड 03 पो0-लाखो थाना-लाखो ओ0पी0 जिला-बेगुसराय एमसीएसन0-जी0 527	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
97	मीना देवी पति-कैलाश सिंह ग्राम-अकहा बिशनपुर पो0-अकहा बिशनपुर थाना-उजियारपुर जिला-समस्तीपुर एमसीएसन0-एफ 99732	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	रूबी देवी पति-मुकेश राय ग्राम-पटेल नगर दमैली वार्ड 04 पो0-संझाघाट थाना-'मीरगंज जिला-पूर्णिया एमसीएसन0-एफ 98007	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	गणेश पोद्दार पिता- देवेन्द्र पोद्दार ग्राम+पो0- चौद सराय थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली एमसीएस नं0- एफ 77960	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			81,40,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 81,40,000/- (एकासी लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196976 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **3601018437** खाता धारक का नाम- 'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख,

ज्ञापाक 2402(14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176976 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नाजीर पिता- मो० जाकिबुल ग्राम- हलालपुर पो०+थाना- अमौर जिला- पूर्णियाँ सीआर नं०- 108112501676747	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मनोरम देवी पति- विनोद कुमार यादव ग्राम- रामघाट वार्ड 05 पो०- खैरा थाना- नरपतगंज जिला- अररिया सीआर नं०- 108112502145001	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	प्रभाकर मडल पिता- भुमेश्वर मडल ग्राम- दुधैला वार्ड 21 पो०- गगापुर थाना- सुलतानगंज जिला- भागलपुर सीआर नं०- 108112502043560	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	शैलेंद्र कुमार पिता- गणेश म डल ग्राम- साहाबाद पो०- गगापुर थाना- सुलतानगंज जिला- भागलपुर सीआर नं०- 108112501943001	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	पुनम कुमारी पति- श्रवण शर्मा ग्राम- भदवा वार्ड 12 पो0- इतासग थाना- रहुई जिला- नालदा सीआर न0- 108112501913111	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	लक्ष्मण केवट पिता- स्व0 सदन केवट ग्राम- सहोडा पो0- मौलानगर थाना- अतरी जिला- गया सीआर न0- 108112502011404	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	दयानन्द कुमार पिता- किशोरी महतो ग्राम- मीरनगर वार्ड 10 पो0- मीरनगर थाना- सरमेश जिला- नालदा सीआर न0- 108112501842566	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	अजय कुमार कात पिता- परशुराम तिवारी ग्राम- मझोस वार्ड 15 पो0- मझोस थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद सीआर न0- 108112501678979	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	विमला देवी पति- स्व0 परमेश्वर राय ग्राम- मनसापुर वार्ड 18 पो0- करजाईन बाजार थाना- करजाईन जिला- सुपौल सीआर न0- 108112501790400	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	पचिया देवी पति- शुखदेव राम ग्राम- डीह जीवर वार्ड 07 पो0- डीह जीवर थाना- हथौडी जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112402614292	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	अंचला देवी पति- रघुनन्दन राउत ग्राम- सगतपर वार्ड 06 पो0- मेघी थाना- दीपनगर जिला- नालदा सीआर न0- 108112501859698	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	गीता देवी पति— राजकुमार महतो ग्राम— एरकी वार्ड 03 पो0— इतवा थाना— मोहनपुर जिला— गया सीआर न0— 108112501742022	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
13	मुना सहनी पिता— अजित सहनी ग्राम— मालीपुर वार्ड 01 पो0— सिमरिया भिडी थाना— कलयाणपुर जिला— समस्तीपुर सीआर नं0— 108112403765731	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
14	जगदीश शर्मा पिता— राम.उदगार शर्मा ग्राम— महिसौर वार्ड 14 पो0— महिसौर थाना— जन्दाहा जिला— वैशाली सीआर न0— 108112502124411	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
15	इद्रजीत यादव पिता— रामाश्रय यादव ग्राम— पकवालिया वार्ड 15 पो0— रतनपुरा थाना— महाराजगज जिला— सिवान सीआर न0— 108112501727252	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
16	पारो देवी पति— किशोरी सिंह ग्राम— राजापाकर वार्ड 09 पो0+थाना— राजापाकर जिला— वैशाली सीआर नं0— 108112501224072	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
17	भिखारी कुमार पिता— रामचरित्र महतो ग्राम— रामपुर बहुअरा वार्ड 01 पो0— सरौजा थाना— बीरपुर जिला— बेगूसराय सीआर नं0— 108112501809437	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
18	चदेश्वरी यादव पिता— बौकू यादव ग्राम+पो0— कहरा थाना— सहरसा जिला— सहरसा सीआर न0— 108112403248664	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

19	उदयभान पांछे पिता- सूरज पांडे ग्राम- रमपुरवा पटखौली पो0+थाना- योगापट्टी जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112502064494	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	शिवराज कुमार पिता- दिनेश राम ग्राम- जोगबनी पो0- भवानीपुर थाना- मगहरिया जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112501556466	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	चन्द्र भुषण कुमार पिता- मुरली प्रसाद यादव ग्राम+पो0- रजासन थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112502101136	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	विफन यादव पिता- स्व0 भून यादव ग्राम- गगाटी पो0- देवकली थाना- गुरारू जिला- गया सीआर न0- 108112500614595	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	रमेश कुमार पिता- देवेद्र साव ग्राम- साधनापुरी 6डी गर्दनीबाग पो0- जी0पी0ओ0 थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना सीआर न0- 108112501423687	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	हेमलता कुमारी पति- अवधेश राय ग्राम- गोपालपुर वार्ड 14 पो0- गोपालपुर थाना- उदाकिशुनगंज जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112501215936	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	तेज नारायण सिंह पिता- राधो सिंह ग्राम- सीतलपट्टी पो0- ढाका थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112501050236	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	राजू दास पिता- कचन दास ग्राम- चमार टोली लेन पो0- चम्पानगर थाना- नाथनगर जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112501756571	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	गीता कुमारी पति- दिनेश राय ग्राम- पकरिया वार्ड 04 पो0- बबुरबन थाना- परिहार जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112501900132	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	मुन्नी देवी पति- दिलीप ठठेरा ग्राम- बाराहाट वार्ड 06 पो0+थाना- बाराहाट जिला- बांका सीआर नं0- 108112501485496	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	मजु देवी पति- भैरो सहनी ग्राम- मुगरवाँ वार्ड 09 पो0- मुगरहाँ थाना- मांझागढ जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112500606834	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	भगलू मंडल पिता- आनद मंडल ग्राम+पो0- बगौनी थाना- बहेरी जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112501842469	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	लुसन कुमारी पिता- सलेद्र साह ग्राम+पो0- सोनडीहा थाना- पसराहा जिला- खगडिया सीआर न0- 108112501535558	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	राजधन सिंह पिता- नन्दलाल सिंह ग्राम- सहोडीह वार्ड 07 पो0- बीरपुर थाना- शाहपुर जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112501460124	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।

33	आशा देवी पति- अनिल कुमार ग्राम- बोरिया वार्ड 09 पो0- बोरिया थाना- बिभूतिपुर जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112501239592	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
34	गंगासागर माझी पिता- कुशेश्वर माझी ग्राम- सहो वार्ड 13 पो0- सहरी थाना- बिरौल जिला- दरभंगा सीआर नं0- 108112501860793	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
35	इसलामुन नैहा पति- हरून मिया ग्राम- कैथवलिया पो0+थाना- चनपटिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं0- 108112401996345	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
36	राकेश कुमार झा पिता- शिव शंकर झा ग्राम- बडी पटन देवी पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना सीआर नं0- 108112400213819	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
37	सरोजन देवी पति- कामेश्वर प्रसाद ग्राम- पचैना वार्ड 05 पो0- नया मोहम्मदपुर थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर सीआर नं0- 108112500592205	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
38	सुगिया खातून पति- मो0 समीम ग्राम- रूपौहली पो0+थाना- परबत्ता जिला- खगडिया सीआर नं0- 108112502035974	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
39	लीला देवी पति- शिवनदन महतो ग्राम- खिजरपुर जसपरहा वार्ड 08 पो0- मिल्की चाक्वाजे थाना- तिसिऔता जिला- वैशाली सीआर नं0- 108112501974781	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

40	रविन्द्र ठाकुर पिता- राम आश्रय ठाकुर ग्राम- धारोपाली वार्ड 12 पो0- करनाल थाना- साहेबगज जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112501924031	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
41	रौशन कुमार पिता- मुसो यादव ग्राम- गढिया वार्ड 10 पो0- गढिया थाना- बनगांव जिला- सहरसा सीआर न0- 108112301010302	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
42	रेवती रमन मंडल पिता- रामनारायण मंडल ग्राम- चौपता वार्ड 09 पो0- काको चौपता थाना- भैरवस्थान जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112402545703	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
43	श्रीकांत साव पिता- साधु साव ग्राम+पो0- रजोई थाना- मुफ्फशील जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112401342159	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
44	प्रमोद कुमार पिता- योगेंद्र प्रसाद मंडल ग्राम- न्यू शास्त्रीनगर वार्ड 05 पो0- मधुबनी थाना- के हाट जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112300682838	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
45	मो0 जावेद असारी पिता- मो0 असफाक असारी ग्राम- रोजितपुर वार्ड 45 पो0- कटिहार थाना- नगर जिला- कटिहार सीआर न0- 108112501246467	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
46	आदर्श पटेल पिता- सुबोध कुमार ग्राम+पो0- कोरारी थाना- बेलछी जिला- पटना सीआर न0- 108112402771339	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

47	अर्चना कुमारी आरती पति- सुधीर कुमार ग्राम- बिस्फी मोतनाजे वार्ड 11 पो0+थाना- बिस्फी जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112300318257	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
48	प्रेमलता देवी पति- उपेन्द्र प्रसाद यादव ग्राम- नन्दनपुर वार्ड 09 पो0- मिर्जापुर थाना- बौसी जिला- अररिया सीआर नं0- 108112300294439	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
49	निर्मल देवी पति- हरी नारायण शर्मा ग्राम- मानपुर वार्ड 11 पो0- मानपुर थाना- गम्हरिया जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112300900991	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
50	खातून पति- मलग मिया ग्राम- हरदी टेढा पो0- डी0के0 शिकारपुर थाना- शिकारपुर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112501597235	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
51	रूपा कुमारी पिता- गोपीचंद कुमार महतो ग्राम- करिगा मुसेहरी वार्ड 05 पो0- मगाईडीह थाना- मुफसिल जिला- सारण सीआर नं0- 108112300160301	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
52	रिंकू देवी पति- वैद्यनाथ साहू ग्राम- पौडी वार्ड 13 पो0- पौडी थाना- बहेडा जिला- दरभंगा सीआर नं0- 108112400516986	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
53	पदमजा देवी पिता- दीपनारायण पोद्दार ग्राम- मोफरगंज अरगंज चौग वार्ड 36 पो0- कटिहार थाना- नगर जिला- कटिहार सीआर न0- 108112301068386	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

54	सोना देवी पति- सुरेन्द्र यादव ग्राम- रसलपुर महुगाईन वार्ड 14 पो0- तरवा थाना- फतेहपुर जिला- गया सीआर न0- 108112400640636	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
55	शारदा देवी पति- नागेन्द्र पाण्डेय ग्राम-कुमहाटी वार्ड 09 पो0- कुमहाटी थाना- दरौली जिला- सिवान सीआर नं0- 108112300687902	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
56	सकलदेव प्रसाद यादव पिता- हकरू प्रसाद यादव ग्राम- शालिग्रामी वार्ड 08 पो0- शालिग्रामी थाना- साहेबपुर जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112400137187	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
57	सौम्या कुमारी पिता- नवीन कुमार ग्राम- शर्मा टोला फुलवरिया 03 पो0- बरौनी थाना- फुलवरिया जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112501432023	कोकलियर इम्प्लान्ट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
58	निर्मला देवी पति- राम बहादुर दास ग्राम- बाद बखड्डा वार्ड 06 पो0+थाना- छौडाही जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 108112502024506	हृदय रोग पीसीआई	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
59	सजू देवी पति- गौरव कुमार ग्राम- मानसी घरारी वार्ड 01 पो0+थाना- मानसी जिला- खगडिया सीआर न0- 108112501032513	हृदय रोग पीसीआई	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
60	सुमन कुमार पिता- गंगदयाल चौधरी ग्राम- नई कॉलोनी पो0+थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर सीआर नं0- 108112502113151	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

61	अशोक कुमार सिंह पिता- लक्समन सिंह ग्राम- भेलाई वार्ड 12 पो0- भेलाई थाना- उदवतनगर जिला- भोजपुर सीआर नं0- 108112501578524	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
62	देवेन्द्र राम पिता- गोकुल राम ग्राम+पो0+थाना- तेलमर जिला- नालदा सीआर नं0- 108112502013423	Cataract Surgery	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
63	विवेकानंद सिंह पिता- सीता राम सिंह ग्राम- राजेन्द्र नगर हेमरा वार्ड 20 पो0- मोहन एघु थाना- मुफ्फसिल जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 108112402483295	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
64	सरधा देवी पति- उपेन्द्र मोची ग्राम- दढिया वार्ड 11 पो0- जनार्दनपुर थाना- चकमेहसी जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112502022244	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	मालती देवी पति- गयानंद सिंह ग्राम+पो0- बिष्णुपुर आहोक थाना- साहेबपुर कमाल पुलिस स्टेशन जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 108112501907722	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	द्रोपदी देवी पति- सीताराम साह ग्राम- बेला चौद पो0- मोहनिया चकला थाना- बनमनखी जिला- पूर्णियाँ सीआर नं0- 10811230052385	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	हेमा चौधरी पति- सरोज कुमार चौधरी ग्राम- काटा पो0- काटा पिरौछा थाना- गायघाट जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं0- 108112300657191	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	नागेन्द्र कुमार पिता-तिलकेश्वर राय ग्राम-दीदारगंज पोस्ट-पटना सिटी थाना-दीदारगंज जिला-पटना सीआरन0-108112300786889	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			51,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 51,00,000/- (एकान लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~196976~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2403(14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 ~~196976~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
27/8/25

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एव शोध संस्थान प्रा० लि०,
कंकडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विवेन्द्र राय पिता- हेम नारायण राय ग्राम- कथौलिया पो०- चादपुरा नन्हकार थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	सत्येन्द्र कुमार पिता- विश्वनाथ प्रसाद ग्राम- पत्थर गली राम गोविन्द सिंह लेन पुनाईचक पो०+थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	दामोदर शर्मा पिता- ईश्वरधारी शर्मा ग्राम+पो०- घोस्टवा थाना- सिलाव जिला- नालंदा	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	मिथिलेश कुमार झा पिता- शशिधर झा ग्राम- गढीरामपुर पो०- नौवागढी थाना- नयारामनगर जिला- मुंगेर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

5	बिमला देवी पति- लालदेव शर्मा ग्राम- घघा घाट बक्सरिया टोला पो0- महेन्द्रू थाना- सुल्तानगज जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			4,25,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,25,000/- (चार लाख पच्चीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 126976... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 22/8/2025

ज्ञापक 2404(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...126976... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **20.08.2025** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	किरन देवी पति- मणिन्द्र सिंह ग्राम- रकबा पो०+थाना- भोरे जिला- गोपालगंज	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	माया देवी पति- निरंजन सिंह ग्राम+पो०- धनार थाना- चन्द्रदीप जिला- जमुई	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	कुसुम देवी पति- बबलु कुमार सोनी ग्राम- पैठान टोली पो०+थाना- सासाराम जिला- रोहतास	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	नीलम देवी पति- सत्येंदर नारायण सिंह ग्राम+पो०- रामचौरा थाना- इसुआपुर जिला- सारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मीना देवी पति- स्व० महेश साह ग्राम- ईटहिया पो०- अमर छपरा थाना- मुफ्फसिल जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
6	सूर्यमणि देवी पति- सुदेश्वर राम ग्राम- लक्ष्मणपुर बाथे पो०- कामता थाना- परासी जिला- अरवल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
7	पुनिता देवी पति- बिनय कुमार ग्राम- देमा पो०- मदनपुर थाना- परसौनी जिला- सीतामढी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
8	विनोद कुमार पिता- मुखदेव यादव ग्राम- तरवन पो०- तारानगर थाना- आईआईटी बिहटा जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
9	गुलशन कुमार पिता- भागेश्वर पजियारा ग्राम- अंतीचक पो०- जेठौर जमुआ थाना- अमरपुर जिला- बाका	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
10	गीता देवी पति- स्व० योगेद्र राम ग्राम- मोती टोला बलुवहिया पो०- शिवगज थाना- आरा नगर जिला- भोजपुर	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत ।
11	नजरुद्दीन पिता- हसन मिया ग्राम- मेघवार पो०- लद्धी सरारी थाना- जामो बाजार जिला- सिवान	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
12	अकबरी खातून पति- मो० हारून ग्राम- पिपलावाँ पो०- आदमपुर पिपलावाँ थाना- नौबतपुर जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।

13	इकरा फात्मा पिता— अफसारूल हक ग्राम— अडौल पो0— बिरहिमा बाजार थाना— बरुराज जिला— मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
14	नरेश यादव पिता— मरई राय ग्राम— सिरिस्तापुर पो0— बनपुरा बाजार थाना— जनता बाजार जिला— सारण	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
15	मनीषा कुमारी पिता— कमलेश पंडित ग्राम— बैरिया दुर्ग पो0— जगरनाथ थाना— उचकागाव जिला— गोपालगंज	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
16	लक्ष्मी देवी पति— लाली रविदास ग्राम— मुबारकपुर पो0— तुलसीगढ थाना— चडी जिला— नालदा	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
17	राकेश यादव पिता— तुलसी सिंह ग्राम— सुरनी पो0— कसाप थाना— उदवत नगर जिला— भोजपुर	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
18	कुंदन कुमार पिता— कृष्णा राम ग्राम— जगदीशपुर पो0— साधपुर थाना— खैरा जिला— सारण	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
19	दिलीप कुमार पिता— सुरेश यादव ग्राम— खपूरा पो0+थाना— पालीगंज जिला— पटना	द्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
20	करीना कुमारी पिता— रतन यादव ग्राम— देवरा पो0— रजहट थाना— अकबरपुर जिला— नवादा	द्रामा	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

21	गौतम कुमार पिता— सत्यनारायण शर्मा ग्राम— भेलावर पो0— तेज बीघा थाना— काको जिला— जहानाबाद	ड्रामा	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
22	दीपक कुमार पिता— विजय सिंह ग्राम— सैदनपुर पो0— नन्दलालाबाद थाना— गौरीचक जिला— पटना	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
23	जय गुन निशा पति— कुर्बान अंसारी ग्राम— धनगाई पो0— केशरी थाना— धनगाई जिला— भोजपुर	Reverse shoulder Arthroplasty	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
24	सुनीता देवी पति— जय प्रकाश ग्राम— मीठापुर बी एरिया डी0 न0 सिंह लेन पो0— जी0 पी0 ओ0 थाना— जक्कनपुर जिला— पटना	गुर्दा प्रत्यारोपन	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
25	बृजनदन सहनी पिता— झगरू सहनी ग्राम— किरतपुर राजाराम पो0+थाना— भगवानपुर जिला— वैशाली	नी रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
26	चंदेश्वर प्रसाद राय पिता— रामनगीना राय ग्राम— दौलतपुर पो0— शुभई थाना— हाजीपुर जिला— वैशाली	नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
27	प्रभा देवी पति— हरेंद्र सिंह ग्राम+पो0— केसियर थाना— यौरी जिला— भोजपुर	नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
28	अनीता देवी पति— मनोज राय ग्राम— भुईगांव पो0— बसंत थाना— गरखा जिला— सारण	नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

29	मो० मुमताज अहमद पिता— अब्दुर रउफ ग्राम— कुम्हारी गली ओल्ड करीमगज पो०— करीमगज थाना— सिविल लाइन जिला— गयाजी	नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
30	भैयाराम सिंह पिता— मोतीलाल सिंह ग्राम— सिसिरित टोला पो०— सिसिरित थाना— नोखा जिला— रोहतास	नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
31	मो० आसीम जमाल पिता— अबू मोहम्मद ग्राम+पो०— आवापुर थाना— पुपरी जिला— सीतामढी	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
32	विनीता देवी पति— कमल कुमार ग्राम— चरोन पो०— नौवागढी थाना— मुफसिल जिला— मुंगेर	वन हीप रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
33	गोरेलाल चौहान पिता— रामेश्वर चौहान ग्राम— तिलकचक पो०+थाना— नारदीगज जिला— नवादा	हीप रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
34	दिनेश प्रसाद सिंह पिता— हरी नारायण सिंह ग्राम— बलानेसर पो०— सोनपताही थाना— बाबुबरही जिला— मधुबनी	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
35	सोनू कुमार गुप्ता पिता— जीतेन्द्र साव ग्राम— कमला नेहरू पो०— जी० पी० ओ० थाना— कोतवाली जिला— पटना	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
36	तनु कुमारी पिता— सतोष कुमार तिवारी ग्राम+पो०— सैदपुरा थाना— गोरेयाकोठी जिला— सिवान	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

37	पुष्पा देवी पति- सुनील सिंह ग्राम-पो0- शहर रामपुर थाना- नौबतपुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
38	राजकुमारी देवी पति- शम्भू शर्मा ग्राम- रसूलपुर पो0- साइन थाना- बेलसर जिला- वैशाली	स्पाईन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
39	सुनील दास पिता- घोघन दास ग्राम- भीरसम्मन पो0- मासूमगज थाना- सुलतानगंज जिला- भागलपुर	स्पाईन सर्जरी	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।
40	सपना रानी पिता- अजित कुमार साह ग्राम- किरतपुर राजाराम पो0+थाना- भगवानपुर जिला- वैशाली	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
41	असफाक आलम पिता- मो0 असगर आलम ग्राम- बडा परेउवा पो0+थाना- रक्सौल जिला- पूर्वी चम्पारण	Laminectomy	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
42	मो0 जफीर उद्दीन पिता- मो0 समसुधीन ग्राम- जमालुद्दीन चक पो0+थाना- खगौल जिला- पटना	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
43	मो0 अमीन असारी पिता- मो0 जमीर असारी ग्राम- दाउदपुर बजाजा गली पो0- दाउदपुर थाना- शाहपुर जिला- पटना	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			41,35,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 41,35,000/- (एकतालीस लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176976 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 579310110008985 खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 मे अंतरित किया जाता है।



3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2405(14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196976 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	निशांत कुमार पिता- स्व० बिरेन्द्र प्रसाद ग्राम- सलम 187 कंकरबाग कॉलोनी सपतचक पो०- लोहिया नगर थाना- कंकडबाग जिला- पटना रजि नं०- 3000172751	हृदय रोग पीटीसीए	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	श्वेता देवी पति- नील कमल ग्राम- फतेहपुर पो०- शहर रामपुर थाना- नौबतपुर जिला- पटना यूएचआईडी नं०- 3000498272	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	राधेश्याम तिवारी पिता- स्व० नंदकिशोर तिवारी ग्राम+पो०- मनियारपुर थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली रजि नं०- 3000001259	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	नवीन कुमार सिंह पिता- राजेश्वर सिंह ग्राम- रजवारा पो०- चकपहार थाना- ताजपुर जिला- समस्तीपुर यूएचआईडी नं०- 3000579262	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	राम कृत राय पिता— राम धारी राय ग्राम— कचहरीपुर पो0— बंदरझूला थाना— सोनबरसा जिला— सीतामढी यूएचआईडी न0— 3000594432	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	अशोक कुमार सतरा पिता— हरी प्रसाद सतरा ग्राम+पो0— बाडा थाना— खोदावान्दपुर जिला— बेगूसराय यूएचआईडी न0— 3000101841	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	विन्देश्वरी मंडल पिता— स्व0 जगत मंडल ग्राम— दुर्गापुर मिलिक टोला पो0— दुर्गापुर थाना— भवानीपुर जिला— पूर्णियाँ यूएचआईडी न0— 3000544888	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	सूरज शर्मा पिता— विश्व नाथ शर्मा ग्राम— अशोक नगर रोड नं0— 4 पो0— लोहिया नगर थाना— कंकडबाग जिला— पटना यूएचआईडी न0— 3000170701	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	सुनिधी कुमारी पिता— सुभाष कुमार ग्राम— मधुरी पो0— मुरली परसौनी थाना— पुरुषोत्तमपुर जिला— पश्चिम चम्पारण रजि नं0— 3000593608	कोकलियर इम्प्लांट	3,50,000	तीन लाख पचास हजार स्वीकृत।
10	सुनील कुमार पिता— राम जीवन सिंह ग्राम+पो0— दोर्गा थाना— रामपुर चौरम जिला— अरवल रजि नं0— 3000533778	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			11,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,00,000/- (ग्यारह लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176776 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16498260000011 खाता धारक का नाम—पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम—AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE

TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं०—
HDFC0001649 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2406(14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196976 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/8/25
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 20.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रशांत कुमार पिता- रजीत पासवान ग्राम- गोपी बिगहा पो0- तुलसीगढ़ थाना- चडी जिला- नालदा	ड्रामा	55,000	पचपन हजार स्वीकृत।
2	सुषमा देवी पति- ओंकार नाथ पांडेय ग्राम- देकुली धरमपुर पो0- कमरौली थाना- पिपराही जिला- शिवहर	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	सुखदेव राजवंशी पिता- लखन राजवंशी ग्राम- खानपुर पो0- छतिहर थाना- हिसुआ जिला- नवादा	हीप रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	अरुण साव पिता- लखन साव ग्राम- सहोखर पो0- सोहसराय थाना- शोहसराय जिला- नालदा	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
5	सोनाली देवी पति- राजू पासवान ग्राम- नासीरपुर बलवा पो0- फतुहां थाना- फतुहां जिला- पटना	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	बिन्दा देवी पति- सुरेन्द्र पासवान ग्राम+पो0- पचलोव थाना- इस्लामपुर जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
7	अनीता देवी पति- सचु राय ग्राम- लोदीपुर पो0- ब्यापुर थाना- मनेर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
8	धीरज कुमार पिता- नारायण महतो ग्राम- गोपालपुर पो0- प्रतापपुर थाना- करजा जिला- मुजफ्फरपुर	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
9	नेमतुल्लाह पिता- मो0 जिक्रुल्लाह ग्राम- अजगरवा पो0- खैरी थाना- बंजरिया जिला- पूर्वी चम्पारण	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
10	मो0 असलम अंसारी पिता- मो0 इस्लाम अंसारी ग्राम- बाजपट्टी आबिदपुर पो0+थाना- बाजपट्टी जिला- सीतामढी	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
11	गोपाल शर्मा पिता- स्व0 रामावतार शर्मा ग्राम- बेनी बिगहा पो0+थाना- गुरुआ जिला- गया	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
12	सुरज कुमार पिता-भीम चौधरी ग्राम-अमैसी डिहरा पोस्ट-डढाव थाना-कोचस जिला-रोहतास	ड्रामा	55,000	पचपन हजार स्वीकृत।
			9,10,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,10,000/- (नौ लाख दस हजार) रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~196976~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस0बी0आई0 ग्राउंड फ्लोर ओजोन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 27/8/2025

ज्ञापाक

2407(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176976 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्जाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 20.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	साइरून खातून पिता- मो० युसूफ ग्राम- कोकट पो०- उधरा थाना- बहादुरपुर जिला- दरभंगा	ड्राप्ता	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
2	बिहारी राय पिता- जीवछ राय ग्राम- गोपालपुर अरथुआ पो०- तिलकेश्वर थाना- के अस्थान जिला- दरभंगा	ड्राप्ता	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
3	रेनू देवी पति- विनय कुमार मिश्रा ग्राम- जरैल पो०- पारसौना थाना- अरैर जिला- मधुबनी	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	रामबिलाश यादव पिता- स्व० भोला यादव ग्राम- दूबारबौना पो०- लौकहा थाना- लदनियाँ जिला- मधुबनी	ड्राप्ता	55,000	पचपन हजार स्वीकृत।
			₹ 2,65,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,65,000/- (दो लाख पैंसठ हजार) ₹० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस०

बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176776 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्गफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-डी0एम0सी0 कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 27/8/2025

ज्ञापाक 2408(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 176776 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी, मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
रुबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	निजामुद्दीन पिता- अब्दुल माजीद ग्राम- ठाकुर लोहार की गली पो0+थाना- डुमराव जिला- बक्सर	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	भाग्य नारायण दत्ता पिता- बिस्वनाथ दत्ता ग्राम- आरएमएस कॉलोनी ककरबाग लोहिया नगर पो0- लोहिया नगर थाना- ककडबाग जिला- पटना	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			1,20,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं०. 126976 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra' Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस०एम०ई० ब्राच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2409 (14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 1968/76 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,

फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,

रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पिकी देवी पति- संजय सिंह ग्राम- मंगुराही पो०- भागवतपुर तरौरा थाना- महुआ जिला- वैशाली	हृदय रोग एमभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रामभजन चौपाल पिता- घुरण शर्मा ग्राम- कदवारा पो०- लक्ष्मीपुर ककोरबवा थाना- जमालपुर जिला- दरभंगा	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	रविरजन कुमार पिता- कामेश्वर यादव ग्राम- बुढैला पो०- पडा बिगहा थाना- मेन जिला- गयाजी	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	शैल देवी पति- सत्येंद्र प्रसाद ग्राम- ईदगाह मोहल्ला पो०+थाना- डेहरी जिला- रोहतास	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
5	अरुण कुमार पिता- लाला प्रसाद ग्राम- रामपुर पो०- अकैर थाना- चंडी जिला- नालदा	हार्निया सर्जरी	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

6	रवि रंजन कुमार पिता- कृष्ण यादव ग्राम- गोरधोवा पो0- ओरैना थाना- मुफ्फसिल जिला- नवादा	ड्रामा सर्जरी	55,000	पचपन हजार स्वीकृत
7	नागदेव सिंह पिता- स्व0 राम इकबाल सिंह ग्राम- जमुनापुर पो0- अलावलपुर थाना- गौरीचक जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
8	डिगरी देवी पति- स्व0 गुलाब साह ग्राम+पो0- चेहरिया थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
9	आरती देवी पति- रोहत कुमार ग्राम- सूर्यगढा बाजार पो0+थाना- सूर्यगढा जिला- लखीसराय	मेजर ब्रेन सर्जरी	2,00,000	दो लाख स्वीकृत।
10	अनिरुद्ध कुमार पिता- लखन प्रसाद ग्राम- पाडेचक पो0- बाराखुर्द थाना- नूरसराय जिला- नालंदा	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			11,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रु0 11,10,000/- (ग्यारह लाख दस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196976 ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2410 (14)

पटना, दिनांक

27/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196976 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साईं हॉस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई०-143
साउथ मलाही पकड़ी चौक
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० जलील पिता- समसुल हक ग्राम+पो०- पहाडपुर तोई थाना- सहदेई जिला- वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 85,000/- (पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196976 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-50200037828274 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० पत्रकार नगर, कंकड़बाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

- आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 24/11 (14)

पटना, दिनांक

27/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196976 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जया कुमारी पिता- पचानंद शर्मा ग्राम- पुराणी शहर पो०+थाना- बरबीघा जिला- शेखपुरा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196976 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 440720110000498 खाता धारक का नाम- Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक

- है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 24/2/14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 176976 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01 /2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बुद्धा कैसर सेक्टर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सगीता देवी पति- राम प्रमोद महतो ग्राम- रामपुर परोरी वार्ड 14 पो0- बनचौरी थाना- पुनौरा जिला- सीतामढ़ी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	तालु टुडू पिता- बरुकु ग्राम- देवीनगर मोचरहा वार्ड 13 पो0- जगैली थाना- श्रीनगर जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
3	चदा देवी पति- नवल साह ग्राम- चन्द्रहिया वार्ड 42 पो0- चन्द्रहिया थाना- मुफरिसल जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	इंदु देवी पति- सुरेश मंडल ग्राम- खनकिट्टा वार्ड 04 पो0+थाना- सबौर जिला- भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मो० अकबर पिता- मुशी मिया ग्राम- माधोपुर वार्ड 10 पो०- माधोपुर थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
6	बल्ली कुमारी पिता- धर्मेन्द्र कुमार राय ग्राम- हरहंगी टोला दौलतपुर वार्ड 02 पो०- राजपुर इंग्लिश थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
7	अनीता देवी पति- महादेव पंडित ग्राम- दुबहा वार्ड 13 पो०- झाझरा थाना- के अस्थान जिला- दरभंगा	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत ।
8	सुनील कुमार पिता- चुल्हाई दास ग्राम+पो०- बघरा थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
9	कंचन देवी पति- अमर पांडेय ग्राम- नगरी वार्ड 09 पो०- नगरी थाना- चरपोखरी जिला- भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
10	अमरेश कुमार पिता- राम कृष्ण प्रसाद ग्राम- जमुआवा पो०- तुगी थाना- बजीरगज जिला- गया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
11	भिखारी ठाकुर पिता- शिव बचन ठाकुर ग्राम- नगवा वार्ड 08 पो०- नगवा थाना- सिमरी जिला- बक्सर	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत ।
			8,30,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,30,000/- (आठ लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196976 द्वारा

आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैंसर सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2413(14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 126976 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एडं रिसर्च सेंटर

मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	डिम्पल देवी पति- सजय कुमार राय ग्राम- धर्मागत पो0- मुजौना थाना- दरियापुर जिला- सारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	राजेन्द्र प्रसाद सिंह पिता- कमलेश्वरी सिंह ग्राम+पो0- ओरलाहा थाना- बी कोठी जिला- पूर्णियाँ	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	वशीधर मंडल पिता- रेशम लाल मंडल ग्राम- सतवेर पो0- तेरखारदाह थाना- बरदाहा जिला- अररिया	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	प्रभा देवी पति- उपेन्द्र पासवान ग्राम- मंगुराही पो0- इटहट थाना- रिसियप जिला- औरंगाबाद	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	राजदेव सिंह पिता- स्व० राम सिंह ग्राम- महावरी नगर ककरबाग कॉलोनी पो0- लोहिया नगर थाना- पत्रकार नगर जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	सकुन्ती देवी पति-सिंहेश्वर प्रसाद ग्राम-सोरंगपुर पोस्ट-जगनपुरा थाना-रामकृष्णा नगर जिला-पटना	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			4,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,60,000/- (चार लाख साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176976 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 24/4(14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0. 176976 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 20.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	घूरनी देवी पति— दिनेश चौधरी ग्राम+पो0— महथा थाना— लदनियाँ जिला— मधुबनी	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	शमशाद आलम पिता— अबू कैंसर ग्राम— इमली तल शाह फसाहत का मैदान पो0— पटना सिटी थाना— चौक जिला— पटना	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	जयनंदन मिस्त्री पिता— सुबेलाल मिस्त्री ग्राम+पो0+थाना— बन्नूबगीचा जिला— लखीसराय	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सविता देवी पति— रामेश्वर सिंह ग्राम+पो0— बांक थाना— अकोढीगोला जिला— रोहतास	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	मुकेश कुमार पकज पिता— दिनेश प्रसाद ग्राम— चैलिटाल महारानी सीोन पो0— गुलजारबाग थाना— आलमगज जिला— पटना	ACL	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

6	नागेश्वर प्रसाद पिता- गजाधर साव ग्राम- मेदनीमल पोखरा मोहल्ला पो0+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
7	किशलय कुमार पिता- मुन्नू प्रसाद बैठा ग्राम-कसबा मेहसी पो0+थाना- मेहसी जिला- पूर्वी चम्पारण	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			5,30,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,30,000/- (पाँच लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~196976~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-1714354694 खाता धारक का नाम-"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- कोटक महिन्द्रा बैंक, (गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं0- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सीपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2415(14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 ~~196976~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ट्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हरार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सिद्धेश्वर सिंह पिता- भैरो सिंह ग्राम- बारे की गली पो0- झाऊगज थाना- चौक जिला- पटना	लेफ्ट हीप रिफ्लेसमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	जयकृष्ण सिंह पिता- महेद्र सिंह ग्राम- तुलसियाही पो0- बिसपट्टी थाना- आलमनगर जिला- मधेपुरा	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	मोती लाल साह पिता- सहदेव साव ग्राम- सेल्हौरी पो0- बेल्हौरी थाना- दुल्हिन बाजार जिला- पटना	हीप रिफ्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			2,95,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 2,95,000/- (दो लाख पन्चानवे हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176776 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 33569032861 खाता धारक का नाम-“ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल ” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक

आफ इण्डिया, शाखा का नाम – गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड स० SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2416(14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं० 196976 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मास्टर आकाश कुमार पिता- उमेश कुमार साहनी ग्राम- चन्दौली पो०- चदौली थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर केस फाईल न०- 19एफ2025/003723	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मो० तजमुल पिता- मो० जहीर ग्राम- कुम्हरा पो०- खुदना रूपसपुर थाना- रौतारा जिला- कटिहार केस फाईल नं०- 19एफ2025/000328	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	कौशल किशोर झा पिता- राजेद्र झा ग्राम- उमेश नगर पो०- शेखपुर थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- केई/82360	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	मास्टर राजा कुमार पिता- बिदेश्वर राम ग्राम- रोहुआ आपुच्छ पो०- मुसहरी फार्म थाना- मुशहरी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2025/004124	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	मास्टर अमन कुमार पिता- चितरजन मुखिया ग्राम+पो0+थाना- कुनौली जिला- सुपौल केस फाईल नं0- 19एफ2025/004041	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	शैल देवी पति- विनोद साह ग्राम- गगवारा पो0- बलीगढ थाना- रुन्नीसैदपुर जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2023/002258	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	हेवन्ती देवी पति- जगदीश प्रसाद ग्राम- लोहदगांवा पो0- कोइलहरा थाना- मधुबन जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2025/004114	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	नीतू देवी पति- संजीव कुमार चौधरी ग्राम- मदुदाबाद पो0+थाना- मोहिउद्दीनगर जिला- समस्तीपुर केस फाईल नं0- 19एफ2025/002795	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	पिकी देवी पति- रामाकात चौधरी ग्राम+पो0- महथ मनियारी थाना- मनियारी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19 एफ 2025/002715	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			7,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,70,000/- (सात लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **176976**... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

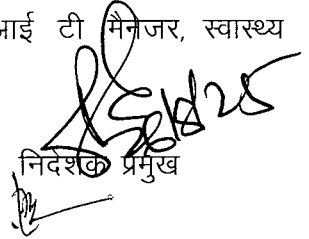
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2417(14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196976 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **20.08.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	पूनम देवी पति— राम श्रेष्ठ चौधरी ग्राम— नरवारा वार्ड 01 पो०— नरवारा थाना— तरियानी जिला— शिवहर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	चदा कुमारी पति— सुधीर कुमार ग्राम— चैनपुरा पो०— पचानपुर थाना— टिकारी जिला— गयाजी	हृदय रोग Heart Disease Cyanotic Surgery	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,80,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196776 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 50200060079860 खाता धारक का नाम— Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम— , RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 24/8(14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196976 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
कंकडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जनार्दन शर्मा पिता- रामबृक्ष शर्मा ग्राम- खुदौरी पो०+थाना- हुलासगज जिला- जहानाबाद	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	वीणा देवी पति- नयन कुमार मिश्रा ग्राम- जगाय पो०+थाना- बांका जिला- बांका	हृदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			2,20,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196976 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकडबाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम ... RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
3. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

- 4 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 5 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2419(14)

पटना, दिनांक 27/8/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 196976...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

Dr. Prabhat Memorial Hiramati Hospital,
Plot No. 106/107-B, Road No.
(Near Dinkar Golamber) Rajendra Nagar,
Patna 800016

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नेहा कुमारी पति- चन्दन कुमार पाण्डेय ग्राम- भैसानी टोला (बड़ी बगीचा) पो०- बेगमपुर थाना- मालसलामी जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए स्टेन्ट	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176976 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 15570210003107 खाता धारक का नाम- A Unit of Caring Hands Healthcare Pvt. Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- UCO Bank, शाखा का नाम- Kankarbagh Patna, RTGS/IFSC कोड सं०- UCBA0001557 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनो के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

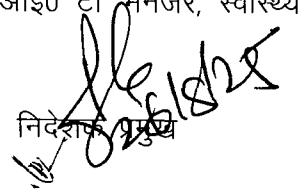
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2421 (14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176976 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
वेदान्ता सेटर फार अपथैलमिक साईंस,
II Floor लीजेन्ड प्लाजा,
नीयर पासपोर्ट आफिस
आशियाना दीघा रोड,
पटना -800014

पटना, दिनांक-

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सावित्री देवी पति- राजा राम सिंह ग्राम+पो0- जमालपुर थाना- अथमलगोला जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	जिया उल्लाह पिता- अब्दुल रजाक ग्राम- बाजिदपुर नियर मस्जिद पो0+थाना- बाढ जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	मकसूद आलम पिता- मो० एकलाख आलम ग्राम- बाजिदपुर पो0+थाना- बाढ जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	नीलम देवी पति- शकर कुमार सिंह ग्राम- मखदुमपुर पो0+थाना- दीघा जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	बीरेंद्र प्रसाद शर्मा पिता- लक्ष्मी सिंह ग्राम+पो0- जमालपुर थाना- अथमलगोला जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	शहनाज यूनुस पति- यासूब यूनुस ग्राम- शहनाज मजिल अस पि वर्मा रोड पो0- जी पि ओ थाना- कोतवाली जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत
7	सत्येद्र प्रसाद सिंह पिता- महेश प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- पैनाल थाना- बिहटा जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 70,000/- (सत्तर हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196976 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 440030110000048 खाता धारक का नाम- "वेदान्ता सेटर फार अपथैलमिक साईंस " खाते का प्रकार-चालु बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-पटना मेन ब्राच, फ्रेजर रोड, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0004400 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2422(14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0. 196976 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Bright Sight Eye Hospital,
26B Saket, 2nd Floor,
Beside Disha Deaddiction Centre,
Patliputra Colony, Patna - 800013

पटना, दिनांक.

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 20.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दूसन देवी पति— गरीब नाथ सहनी ग्राम— पहेतिया पो०— धरहरा थाना— हाजीपुर जिला— वैशाली	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	कोशमी देवी पति— लाल देव रविदास ग्राम+पो०—सैदाबाद थाना— पाली जिला— जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	सूल्तान अहमद पिता— सरफूदीन ग्राम+पो०— सैदाबाद थाना— पाली जिला— जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	शकुन्ती देवी पति— रामवृत्त यादव ग्राम+पो०— सैदाबाद थाना— पाली जिला— जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	मो० समसुद्दीन असारी पिता— रोइन मिया ग्राम+पो०— सैदाबाद थाना— पाली जिला— जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	विमेश पासवान पिता- रामपीत पासवान ग्राम+पो0- सैदाबाद थाना- पाली जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	मानिकचद दास पिता- महन्त लाल दास ग्राम+पो0- सैदाबाद थाना- पाली जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	कमलेश मोची पिता- चद मोची ग्राम+पो0- सैदाबाद थाना- पाली जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	भुनेश्वर रविदास पिता- सखीचद दास ग्राम+पो0- सैदाबाद थाना- पाली जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	गगाजली देवी पति- राजनदन पासवान ग्राम+पो0- सैदाबाद थाना- पाली जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	केलाश माझी पिता- देव लाल माझी ग्राम+पो0- मोकर थाना- जहानाबाद नगर जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	नरेश शर्मा पिता- राजेद्र शर्मा ग्राम+पो0- कोकर थाना- जहानाबाद नगर जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	उमेश शर्मा पिता- राम नदन शर्मा ग्राम+पो0- मोकर थाना- जहानाबाद नगर जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
14	श्रीमती देवी पति- सुरेश बिंद ग्राम+पो0- मोकर थाना- जहानाबाद नगर जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

15	देवेन्द्र साव पिता- कारु साव ग्राम+पो0- मोकर थाना- जहानाबाद नगर जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	बैजन्ती देवी पति- धनु साव ग्राम+पो0- मोकर थाना- जहानाबाद नगर जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	किरण देवी पति- सुरेश शर्मा ग्राम+पो0- सिंगथू थाना- मानपुर जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	बढन देवी पति- गौधी पासवान ग्राम+पो0- सिंगथू थाना- मानपुर जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	लाल केशरी देवी पति- नदजी राम ग्राम+पो0- बलीगाव थाना- अगिआंव बाजार जिला- भोजपुर	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	राम अनुज सिंह पिता- फेकन सिंह ग्राम+पो0- बलीगाव थाना- अगिआव बाजार जिला- भोजपुर	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
21	रामछपित प्रसाद पिता- जगदीश प्रसाद साह ग्राम+पो0- बलीगाव थाना- अगिआव बाजार जिला- भोजपुर	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
22	किशुन साह पिता- डोमा साह ग्राम+पो0- बलीगाव थाना- अगिआंव बाजार जिला- भोजपुर	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
23	सजय कुमार केशरी पिता- रागुनाथ प्रसाद केशरी ग्राम+पो0- बलीगांव थाना- अगिआव बाजार जिला- भोजपुर	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

24	राम सुभग सिंह पिता- शिवनाथ सिंह ग्राम+पो0- बलीगाव थाना- अगिआव बाजार जिला- भोजपुर	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
25	भगवान साह पिता- स्व0 शिवनदन साह ग्राम+पो0-बलीगाव थाना- अगिआव बाजार जिला- भोजपुर	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
26	शिवशकर सिंह पिता- जगन्नाथ सिंह ग्राम+पो0- बलीगांव थाना- अगिआव बाजार जिला- भोजपुर	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
27	कमला देवी पिता- जय कुडल साह ग्राम+पो0- बलीगांव थाना- अगिआव बाजार जिला- भोजपुर	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
28	अर्जुन दास पिता- भोजल दास ग्राम+पो0- मालती थाना- अस्थवा जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
29	रामलखन पासवान पिता- परमेश्वर पासवान ग्राम+पो0- मालती थाना- अस्थवा जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
30	रुक्मिणी देवी पति- शियासरन पासवान ग्राम+पो0- उत्तरथू थाना- बिद जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
31	रामबली चौहान पिता- भातु चौहान ग्राम+पो0- उत्तरथू थाना- बिद जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
32	धर्मराज चौहान पिता- शिवजी चौहान ग्राम+पो0- उत्तरथू थाना- बिद जिला- नालदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

33	अशोक चौधरी पिता- अमृत चौधरी ग्राम+पो0- उत्तरथू थाना- बिंद जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
34	प्रमोद सिंह पिता- महेद्र महतो ग्राम+पो0- उत्तरथू थाना- बिंद जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
35	कौशलेद्र दास पिता- रविन्द्र दास ग्राम+पो0- उत्तरथू थाना- बिंद जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
36	चादो देवी पति- रामईश्वर चौहान ग्राम+पो0- उत्तरथू थाना- बिंद जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
37	विनोद प्रसाद पिता- महेद्र प्रसाद ग्राम+पो0- उत्तरथू थाना- बिंद जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
38	कृष्णा चौहान पिता- रामखेलावन चौहान ग्राम+पो0- उत्तरथू थाना- बिंद जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
39	अयोध्या चौहान पिता- जगदीश चौहान ग्राम+पो0- उत्तरथू थाना- बिंद जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 3,90,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,90,000/- (तीन लाख नब्बे हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196176 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- **18940210000786** खाता धारक का नाम- 'BRIGHT SIGHT EYE HOSPITAL PVT. LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- UCO BANK, KURJEE, PATNA, शाखा का नाम- KURJEE, PATNA, RTGS/IFSC कोड सं० UCBA0001894 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर

चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2423(14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196976 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
ए० बी० आई० इंस्टीच्युट
प्रेम चन्द्र मार्ग, रोड नं०-12
राजेन्द्र नगर, नीयर बहादुरपुर गुमटी
पटना-800016

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सीताराम मंडल पिता- मोती मंडल ग्राम- छोटी केशोपुर नालापर पो०+थाना- जमालपुर जिला- मुंगेर	नेत्र रोग	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 10,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196776 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०- 2921002100017913, खाता धारक का नाम- A. B. Eye Institute, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- Punjab National Bank, शाखा का नाम- R. K. Avenue, Patna - 800003, RTGS/IFSC कोड स० PUNB0292100 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2424(14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196976 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

रोहित आनंद
पिता- स्व० बिनय कुमार
ग्राम- पथलौटिया
पो०- कटेसर
थाना- बिहटा
जिला- पटना
पिनकोड- 801103

पटना दिनांक . . .

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रोहित आनंद पिता- स्व० बिनय कुमार ग्राम- पथलौटिया पो०- कटेसर थाना- बिहटा जिला- पटना पिनकोड- 801103	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० **196976** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-2131101700003100, खाता धारक का नाम- **ROHIT ANAND**, खाते का प्रकार- **SAVINGS BANK ACCOUNT**, बैंक का नाम- **PUNJAB NATIONAL BANK**, शाखा का नाम- **SIKANDARPUR, IFSC** कोड स०- **PUNB0213110** में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

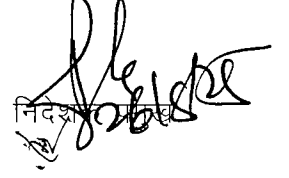
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2449(14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196276 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ਵਾਸ ਬੈਂਕ Punjab National Bank

WILL. BIKERMAN - 514-74-201103 (ph: 514-74-201103) / ACC-1103

Principal Agent Officer : SELF

REF ID: A3707359 M/O Doc: SELF

U/C No: 2131101700003100 INR Aadhaar 720359

OR RUMIT ASWAD

Account Open Date : 03-05-2023

E/O: BINAY KUMAR.

INTRA-BIHAR

2.1 HAR

INDIA Pin: 801103

IMAR
Nomination Registered at Sl.No. : 2618491639

Date of issue : 04-05-2023

प्राधिकारी अधिकारी / प्रबंधक / Authorised Official/Manager

अधिकारी अधिकारी/प्रबंधक / Authorized Official/Manager
कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न विवरणियों पर किसी अधिकारी द्वारा अभिप्रेक्षित
पासबुक / आधार बनाने की आवश्यकता नहीं है। कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न
पासबुक / विवरण पर हस्ताक्षरित (मैनुअल) विवरणों की आवश्यकता नहीं है।
Computer generated entries shown in the statement of
require any authentication/initial from bank
entry in your

Computer generated entries shown in the statement of
do not require any authentication/initial from bank
entry in your

Team
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

पास्तबुक में प्रयुक्ता शब्द—संक्षेप
ABBREVIATIONS USED IN THE PASS BOOK

[illegible]

Name _____
Account Holder-1

Name _____
Account Holder-2

Name _____
Account Holder-3

बैंक प्रत्येक दो दिनों को ग्राहक को अपना कुलान्त करने के लिए रिपोर्ट दिनांक के तारीख तक ग्राहक को
 दिनांक के तारीख से दो दिनों में इंटरनेट द्वारा आइडेंटिफिकेशन को माध्यम होगा।
 Bank shall only honour or pay the cheques of the customer's against clear balance upto
 the previous day and against clear balance including withdrawals made through internet
 Banking & ATMs having regard to the withdrawals of the day already made in the
 account.

PLEASE DO NOT FOLD THE PAGE

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अभिनव राज
पिता- राम बिलाश हरिजन
ग्राम- रतनगज
पो०- सुकटिया बाजार
थाना- गोपालपुर
जिला- भागलपुर
पिनकोड- 853205

पटना दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अभिनव राज पिता- राम बिलाश हरिजन ग्राम- रतनगज पो०- सुकटिया बाजार थाना- गोपालपुर जिला- भागलपुर पिनकोड- 853205	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196976 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-923010045321848, खाता धारक का नाम- ABHINAV RAJ, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- AXIS BANK LTD, शाखा का नाम- IFSC कोड स०- UTIB0003645 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -

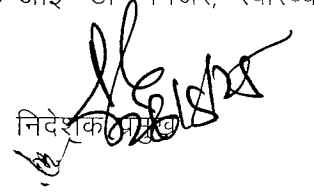
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2450(14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196976 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक (प्रमुख)

For: **Supreme Bank (Punjab) Ltd. (Incorporated in India) (CIN: U51909PB1995PLC000001)**



Mobile Banking 24x7 - Access your account
anywhere, anytime. Just dial 1444 or use the
code 4444 on the keypad.



SMS Banking 24x7 - Receive alerts on your
mobile via SMS. For key alerts, dial 1444 or
code 4444.



Internet Banking 24x7 - Access your account
online. Just log on to www.supremebank.com
or use the code 4444 on the keypad.



Phone Banking 24x7 - Access your account
by dialing 1444. Place your requests, provide
feedback or lodge complaints. Call 1444 or
dial 1444 for assistance.



ATM 24x7 - Withdraw cash, check balance,
update mobile number, etc. Just use the code 4444
on the keypad.



More To Locate ATM - Dial 1444 or use the code 4444
on the keypad.

Please ensure safe custody of Passbook. Do not disclose confidential information contained herein.
For more details, please refer to the privacy policy available on the website www.supremebank.com.

Account Type	Savings Account	Branch	Supreme Bank (Punjab) Ltd.
Account Number	1234567890123456	City	Delhi
Current Id	9876543210	State	Delhi
Customer Name	Mr. A. K. Singh	Country	India
Mobile No.	9876543210	Pin Code	110001
Address	Supreme Bank (Punjab) Ltd., 1234567890, Delhi 110001		
Office Number	1234567890	Branch	Supreme Bank (Punjab) Ltd.
Post No.	110001	City	Delhi
State	Delhi	Country	India
Registration	Registered	Branch	Supreme Bank (Punjab) Ltd.
Nominational Name	Mr. A. K. Singh	City	Delhi
Branch	Supreme Bank (Punjab) Ltd.	Country	India

Supreme Bank (Punjab) Ltd. (Incorporated in India) (CIN: U51909PB1995PLC000001)

Self Attested
आगेजव राज

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

चरणजीत कुमार
पिता- राम ललित साह
ग्राम+पो०- गोधना
थाना- बछवाडा
जिला- बेगूसराय
पिनकोड- 851111

पटना दिनांक ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चरणजीत कुमार पिता- राम ललित साह ग्राम+पो०- गोधना थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय पिनकोड- 851111	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० **176976** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- **33028522079**, खाता धारक का नाम- **CHARANJEET KUMAR**, खाते का प्रकार- **SAVINGS BANK ACCOUNT**, बैंक का नाम- **STATE BANK OF INDIA**, शाखा का नाम- **TEGHRA IFSC** कोड सं०- **SBIN0003012** में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2451(14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196976 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, क्रा. प्र.

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

देव कुमार

पिता- राम बाबू अम्बष्ठ

ग्राम- वेस्ट अशोक नगर रोड न०- 1एफ

पो०- लोहिया नगर

थाना- ककडबाग

जिला- पटना

पिनकोड- 800020

पटना दिनांक .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.08.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	देव कुमार पिता- राम बाबू अम्बष्ठ ग्राम- वेस्ट अशोक नगर रोड न०- 1एफ पो०- लोहिया नगर थाना- ककडबाग जिला- पटना पिनकोड- 800020	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

2. उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196976 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-0065104000289870, खाता धारक का नाम- DEV KUMAR, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- IDBI BANK, शाखा का नाम- MAIN BRANCH KASHI PALACE NEW BAK BUNGLOW PATAN, IFSC कोड स०- IBKL0000065 में अंतरित किया जाता है।
3. निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2452(14)

पटना, दिनांक 27/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196976 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

उपयोगी सूचनाएं | Useful Hints

कृपया Please

- 1) पासबुक को नियमित रूप से अद्यतन करवाएं
Get your Pass-Book updated regularly
- 2) पासबुक में कहीं भी अपने हस्ताक्षर न करें
Do not sign anywhere on the Pass-Book
- 3) पासबुक को न मोड़ें
Do not fold the Pass-Book
- 4) अपनी पासबुक सुरक्षित रखें
Keep your Pass-Book Safely
- 5) नामकृत सुविधा का लाभ उठाएं
Avail of the Nomination Facility

शाखा का पता और कामकाज का समय | Branch address & working hours

हमारे टोल फ्री फोन बैंकिंग नम्बर / Our toll free Phone Banking Numbers:

किसी भी लैंडलाइन / मोबाइल फोन से लगने वाला टोल फ्री नंबर - 1800-22-6999 / 1800-22-1070
गैर-टोल फ्री नंबर - 022-66937000
अपना कार्ड खो जाने / चोरी हो जाने पर कृपया 1800-22-6999 पर संपर्क करें

Toll Free Numbers reachable from any landline Mobile phones - 1800-22-6999 / 1800-22-1070

Non - Toll Free Number - 022-66937000

In case your card is lost / stolen, please call - 1800 22-6999

TIDBI BANK

बचत खाता नं.

SB Account No.

नाम

Name:

पता

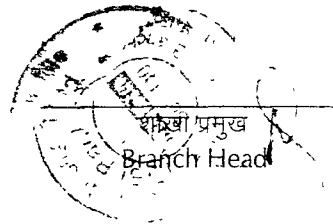
Address

दिनांक

Date

नामकृत पंजीयन सं.

Nomination Regn No



A/c No - 0065104000289870

Ifsc - IBKL00000065

MAIN BRANCH

KASHI PLACE

NEW DAK BUNGLOW

PATNA - 1

Dev Kumar

Generally used abbreviations

Account	dep = Deposit	Pr = Principal
Advantage	Dft = Draft	proc = Processing Charge
	dish/dsn = Dishonour	rd = Recurring Deposit
	DR = Debit	ret/rtn = Return
	DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Savings Bank
	Inop = Inoperative	SC = Short Credit
	ins = Insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
	int/in = Interest	S/D/W/H/o=Son/Daughter/Wife/Husband of
	lon/in = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
	os = Outstanding	txn = Transaction
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
csh = Cash	Pos = Point of sale	+MOD bal=total balance (SB+linked MOD a/c)

भारतीय स्टेट बैंक



State Bank of India

Savings Bank Account

CIF No : 86742521690
Account No : 33028522079
Customer Name: Mr. CHARANJEET KUMAR

TEGHRA (DISTT BEGUSARAI)
TEGHRA

S/D/W/H/o: RAM LALIT SHAH
Address: AT+PO GODHNA
PS BACHHAMRA
DIST BEGUSARAI

Phone:

Email:

D.O.B. (If Minor):

MOP. **HELPLINE : 1800-11-22-11 1800-425-3800**



Phone: 235753

Email: sa.03012@sbi.co.in

Branch Code: 3012

Date of Issue: 05/06/2013

05/06/2013 7527942 3012

FSC: SBIN0000000

Branch Manager